

आदेश फलक

आदेश फलक
५० दिने मुक्त आदिवासा

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपणी, तारीख सहित
11. 9. 2024	भा.वै.द.क. अलखुन कवीर नामांकन नं० 16 अ/2-24-2024 को रजिस्ट्री नं० 357, रजिस्ट्री नं० 557 एवं 2133 का आंगिक रजिस्ट्री नं० 0.05 एवं के निरुद्ध कालीम जावेद पिता अलखुन अलख एवं लमीर कुलन पिता एवं. अममोद कुलन दोनों के नाम रजिस्ट्री के द्वारा आपसी दायी करी इत नामांकन को रद्द करी देतु अंगीक किया है। दोनों पक्षों की लिमिग में। दिनांक 18.07.2024 को अभिनेत उपस्थापित करें। 11.07.2024 अभिनेत अभिनेता अभिनेता	
18.07.2024	आज अभिनेत उपस्थापित किया गया नामांकन अतिरिक्त प्राप्त है। कालीम जावेद द्वारा लमीर की मांग की गयी है। अगली लिमिग 14.08.2024 को अभिनेत करें। दोनों पक्षों की लिमिग जवाब लिखित करने की इंतजार में। 18.07.2024 अभिनेत अभिनेता अभिनेता	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपणी, तारीख सहित
14.08.2024	आमि लेख उपलब्धिद दोनो पक्ष उपस्थित । दोनो पक्षों के द्वारा जवाब दारित की गई । आदेशानुसार हेतु दिनांक 11.09.2024 को अतिरिक्त उपलब्धिद के ।  14.08.2024 अंचल अधीक्षक महाराष्ट्र	
11.09.2024	अतिरिक्त दिनांक 11.09.2024 को को खरा गया । दोनो पक्षों को हुआ एवं अतिरिक्त अतिरिक्त एवं दलालों का अगलोकन किया गया । अतिरिक्त अतिरिक्त अतिरिक्त नामांतरण वाद संख्या 16 R27 / 2024-2025 मीजा - 2.3 फीस धाना संख्या 357 और संख्या 9133 का अतिरिक्त रकम 0.05 एकड़ वरिष्ठ निरुद्ध अतिरिक्त जाकेट, पिता महकुन अतिरिक्त एवं अतिरिक्त एवं पिता एवं अतिरिक्त एवं दोनो पी० नयाका शरयौस के द्वारा आपसे एवं अतिरिक्त नामांतरण को । एवं अतिरिक्त हेतु अतिरिक्त किया गया ।	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपणी, तारीख सहित
	वाद में अंगदरो द्वारा वाच्यीत एवं मायगी सामग्री के जानूना रूप है कि करी के लिए उन्हें विक्रय हेतु अधिष्ठा किया गया। इस सम्बंध में अंगदरो द्वारा का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। अवेदक अभि या का वर्तमान में जिला द्वितीय पक्ष अद्वुत करीब का पक्का मकान है एवं दरबार उठता है। द्वितीय पक्ष अद्वुत करीब के द्वारा No objection का नोतरी पत्रिका का मापक पत्र तथा दिनांक 01.01.2021 को विज्ञापन के सुदृष्टी द्वारा अनापत्ति के सम्बंध में दरबार के समक्ष किया है। दोनों पक्षों के सुनवाई एवं समझौते अभिदेरी एवं दलालों के स्पष्ट है कि मौजा खड़पीष, थाना बंजारा 357 खाला 50 557 एरर 50 ए 2133 का अधिकार रकबा 0.05 एकड़ अभि के तद्वितीय पक्ष अद्वुत करीब के दलाल उठता में उठता पक्का मकान बना हुआ है। उक्त दलाल उठता	

पि. के.

आदेश की
कम सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिपणी,
तारीख सहित

में उनकी चर्चा होगी जहाँ 0.07 एड
जहाँ है। जिसमें प्रथम पक्ष के हितों
में आता है। आवेदन द्वारा मांगायें
का आपत्ति उत्तर प्रतीत नहीं होना।

अतः दारिद्र्य रंगरिज (माग 10) का
वाद की स्वीकृति दी जाती है। इन्के
स्वायत्त इस वाद की आदिवासी समिति
की जागीर। इस आदेश के प्रथम पक्ष
सेटल नहीं है जो इस आदेश के निम्न
समय मांगायें में आपत्ति दायर
कर सकते हैं।

हंगीपिपु एवं रेखापिपु

11.07.2024
अंमल अधिकारी
मंडागांव

11.07.2024
अंमल अधिकारी
मंडागांव